

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014

जयपुर, दिनांक :- 23 DEC 2015

आदेश


विषय :- मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में।

दिनांक 27.11.2015 को अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग द्वारा प्राधिकरणों व नगर विकास न्यासों के अधिकारियों से हुई विडियों कॉन्फ्रेन्सिंग में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान 1ए के संबंध में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा गया था। इस संबंध में प्रश्नगत प्रावधान की व्याख्या की जाकर निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं :-

1. 2 हैक्टर क्षेत्रफल तक स्वतंत्र आवासों (प्लोटेड डवलपमेन्ट) की योजनाओं में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत के बराबर भूमि की राशि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की एवज में विकासकर्ता से ली जावे। इस राशि की गणना आवासीय आरक्षित दर पर तथा जिन क्षेत्रों में आरक्षित दर निर्धारित नहीं है, उस स्थिति में राशि की गणना डी.एल.सी. दर के आधार पर की जावे।
2. 5000 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल पर फ्लैट निर्माण प्रस्तावित किये जाने पर अनुमोदित एफ.ए.आर. के 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. क्षेत्रफल पर ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों का निर्माण अनिवार्य होगा। 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल पर फ्लैट प्रस्तावित होने की स्थिति में 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. के समतुल्य क्षेत्रफल पर विकासकर्ता से 100 रूपयें प्रति वर्गफीट की दर से राशि ली जावे।

उक्त राशि का संधारण शैल्टर फण्ड के रूप में किया जायेगा तथा इसका उपयोग ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासीय योजनाओं के विकास एवं रख-रखाव हेतु किया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. 18(36)नविवि/एनएएचपी/2014

जयपुर, दिनांक :- 23 DEC 2015

आदेश

विषय :- मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में आवेदित योजनाओं का अनुमोदन त्वरित गति से किये जाने हेतु अध्याय-3 के बिन्दु सं. 3 में भूमि रूपान्तरण, ले-आउट प्लान व बिल्डिंग प्लान अनुमोदन के लिए समय सीमा निर्धारित की गयी है, इसी के साथ यदि प्रकरणों में पुनर्गठन किया जाना हो तो इसका अनुमोदन स्थानीय स्तर पर किये जाने का प्रावधान भी किया गया है। राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया है कि अनेक प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का बिन्दु भी समाहित हो सकता है, जिसके लिए वर्तमान में दिशा-निर्देश नहीं होने के अभाव में अनुमोदन प्रक्रिया में समय लग सकता है।

उक्त प्ररिप्रेक्ष्य में सक्षम स्तर से अनुमोदन के पश्चात् निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान सं. 2 व 3 के तहत प्रस्तावित योजनाओं में भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो धारा 90ए के तहत प्राप्त आवेदन के साथ ही भू-उपयोग परिवर्तन का आवेदन प्राप्त कर लिया जावे और 30 दिवस की अवधि में भूमि रूपान्तरण व भू-उपयोग परिवर्तन की समानान्तर प्रक्रिया अपनाते हुये प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित किया जावे।
2. उपरोक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदित प्रकरणों में 7 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे तथा भू-उपयोग परिवर्तन का अन्तिम निर्णय भू-उपयोग परिवर्तन नियम, 2010 के तहत गठित समिति द्वारा स्थानीय स्तर पर लिये जाने के सम्पूर्ण अधिकार दिये जाते हैं।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के मुख्य उद्देश्यों में विकासकर्ताओं की योजनाओं का त्वरित अनुमोदन किया जाना भी सम्मिलित है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत आवेदित प्रकरणों में निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

 23/12/15

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम